हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नज़रिया
शनिवार, 07 अक्टूबर 2017, लखनऊ, पांच प्रदेश, 20 संस्करण, नगर संस्करण
www.livehindustan.com

जीएसटी से झंझटों के मुक्ति मिलने पर व्यापारी राहत में

लिखापढ़ी से छूट

लखनऊ | कार्यालय संवाददाता

जीएसटी के झंझटों से परेशान व्यापारियों के लिए शुक्रवार का दिन राहत लेकर आया। छोटे व्यापारियों को कागजी लिखापढ़ी से छूट मिली। टैक्स में कटौती कर व्यापारियों को मंदी की मार से उबारने के प्रयास का स्वागत किया गया। सराफा व्यापारियों ने मनी लांड्रिंग से बाहर करने और दो लाख की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य करने पर राहत की सांस ली।

तीन लाख व्यापारियों को मिली राहतः छोटे व्यापारियों को एक महीने के बजाय अब तीन महीने में रिटर्न भरने की घोषणा से प्रदेश के लगभग तीन लाख व्यापारियों ने राहत की सांस ली। लखनऊ व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों पर कागजी लिखापढ़ी काफी बढ़ गई है। ऐसे में आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के निर्णय को मार्च 2018 तक स्थगित करने का जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला किया है वह स्वागत योग्य है। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट, फुटकर खर्चों का विवरण पेश करने से व्यापारियों को छूट मिल गई है।

सराफा व्यापारियों में खुशी की लहरः सोने-चांदी के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने शिकंजा कस रखा था। इसी के तहत पहले दो लाख तक की खरीद पर पैन कार्ड आवश्यक था लेकिन सरकार ने इसे बाद में 50 हजार रुपये की खरीद पर भी लागू कर दिया था। सर्राफ आदीश जैन ने कहा कि सरकार ने समीक्षा में अपने लिए फैसले से वापस आकर फिर दो लाख रुपये की सीमा करना सही कदम है। बुलियन व्यापारी राहुल गुप्ता का कहना है कि सराफा बाजार को मनी लांड्रिंग से बाहर करने के फैसला सही है।

जीएसटी से विकास दर पर कोई असर नहीं

लखनऊ। जीएसटी से देश की विकास दर पर कोई असर नहीं पड़ा है। इससे व्यापार में पारदर्शिता आई है और यही इसका मकसद है। हालांकि यह जरूर है कि व्यापारी जीएसटी में थोड़े उलझ गए हैं। इसलिए उनकों जीएसटी के बारे में अधिक जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जिससे यह कर प्रणाली को और बेहतर किया जा सके।

यह बातें सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह ने हजरतगंज स्थित एक होटल में कहीं। जहां पर एसोचैम की तरफ से जीएसटी पर संवाद का आयोजन किया गया था। कई उद्यमियों का कहना था कि इनपुट क्रेडिट न मिलने से व्यवसाय चलाने व निर्यात को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर क्रिसमस से पहले विदेशों में कई चीजों की सप्लाई अधिक मात्रा की जाती है। जिसकी निर्यात संबंधी प्रक्रिया अगस्त से सितबंर माह तक पूरी कर ली जाती थी लेकिन जीएसटी लागू होने से इस साल यह नहीं हो सका है। इस पर शिव नारायण ने कहा कि कोई भी चीज लागू होने पर थोड़ी कठिनाई आती है। जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त आयुक्त (निर्यातक प्रोत्साहन) आरके सिंह, सीमा शुल्क उपायुक्त प्रदीप सिंह सेंगर, सीमा शुल्क अधीक्षक राजेश खन्ना, एसाचैम के महासचिव वीरेंद्र नाथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय अचार्या, आरके पोरवाल, अजय जैन, डीके कंचन, रमेश मल्होत्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।

- सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त ने निर्यातक उद्यमियों के साथ जीएसटी पर किया संवाद
- उद्यमियों के सवालों का दिया जवाब, कई उद्यमियों ने दिए सुझाव

समस्या हो तो करें संपर्क

एसोचैम यूपी के कर समिति के अध्यक्ष एके गुप्ता ने कहा कि उद्यमियों को जो भी जीएसटी को लेकर परेशानी हों, भ्रम हो या फिर सवाल वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले ही एसोचैम इसके प्रति व्यापारियों को जागरूक करना शुरू कर दिया था वह अभियान अभी भी जारी है।